फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

चेतनराम बनाम कानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 नं. 337/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01/08/2022	प्रार्थी की ओर से वकील श्री महावीर जीनगर द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मिठियासरा पटवार हल्का पनावड़ा तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि को बेचने पर व कच्चा–पक्का निर्माण कराने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 06/09/2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मिठियासरा पटवार हल्का पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 476/350 रकबा 23.9545 हैक्टयर की भूमि में न ही प्रार्थी के हक हिस्से की भुमि का बेचान व अन्य प्रकार से हस्तांरण, रहन इत्यादि करें। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी नहीं करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। प्रार्थी अधिवक्ता 3 योम में विप्रार्थीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश करें, नहीं पेश करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज मानी जायेगी। नोटिस पेश होने पर विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाव दिनांक 06/09/2022 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

18/08/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधि. वक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर मूल को जरिये विड्रोवल खारीज करवा दिया है। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी के उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
वायतु
जिला – [illegible]